न्यायालयः– अमन सुलिया,न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
ग्वालियर, जिला–ग्वालियर (म.प्र.)

---

1. Registration No. **RCT/8026/2023**
2. Filing No. **RCT/28159/2023**
3. CNR No. **MP0701-034469-2023**
4. Registration Date **15-12-2023**

आरक्षीकेन्द्र सिरौल, जिला ग्वालियर म.प्र. के अपराध क्र. 354/2023 अंतर्गत धारा 379 भा.द.सं. 1860 से उदभूत प्रकरण।

म.प्र.राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र सिरौल
जिला–ग्वालियर, (म.प्र.) .....**अभियोगी**
प्रतिनिधित्व द्वारा श्री संतोष शर्मा, ए.डी.पी.ओ.

विरूद्ध

1. **नीरज जाटव पुत्र हरकंठ जाटव, आयु–31 वर्ष, निवासी–नई बस्ती, सिरौल कॉलोनी, ग्वालियर**
2. **राहुल जाटव पुत्र मेहबात जाटव, आयु–22 वर्ष, निवासी–जाटव मोहल्ला, हुरावली, ग्वालियर**
3. **अभिषेक जाटव पुत्र लालसिंह जाटव, आयु–19 वर्ष, निवासी–जाटव मोहल्ला, हुरावली, ग्वालियर**

.....**अभियुक्त**
प्रतिनिधित्व द्वारा श्री रामकिशोर माहौर अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त नीरज
प्रतिनिधित्व द्वारा श्री आर.एल.वर्मा अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त राहुल
प्रतिनिधित्व द्वारा श्री ज्ञानेन्द्र अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त अभिषेक

अपराध की तारीख	20.09.2023
प्र.सू.रि. की तारीख	21.09.2023
अभियोग पत्र पत्र की तारीख	15.12.2023
आरोपों के विरचना की तारीख	25.09.2024
साक्ष्य प्रारंभ किये जाने की तारीख	–
निर्णय सुरक्षित किये जाने की तारीख	–

निर्णय की तारीख	16.06.2025
दण्डादेश, यदि कोई हो, की तारीख	निल

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफतारी की तारीख	जमानत पर रिहा किये जाने की तारीख	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दण्डादेश	अधिरोपित दण्डादेश	धारा 428 दं.प्र.सं. के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भेगी गई निरोध की अवधि
1.	नीरज जाटव	21.09.23	25.09.23	379 भा.द.सं.	दोषमुक्त	दोषमुक्त	—
2.	राहुल जाटव	21.09.23	25.09.23	379 भा.द.सं.	दोषमुक्त	दोषमुक्त	—
3.	अभिषेक जाटव	21.09.23	26.09.23	379 भा.द.सं.	दोषमुक्त	दोषमुक्त	—

अभियोजन साक्षियों की सूची

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
अ.सा.01	सुरेश कुमार गौड	फरियादी/आहत

अभियोजन प्रदर्शो की सूची

स.क.	प्रदर्श संख्या	विवरण
01	प्रदर्श पी 1/अ.सा.01	प्रथम सूचना रिपोर्ट
02	प्रदर्श पी 2/अ.सा.01	नक्शामौका
03	प्रदर्श पी 3/अ.सा.01	पुलिस कथन
04	प्रदर्श पी 4/अ.सा.02	पुलिस कथन

न्यायालय साक्षियो की सूची

स.क.	प्रदर्श संख्या	विवरण
—	—	—

न्यायालय प्रदर्शो की सूची

स.क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
–	–	–

बचाव साक्षियों की सूची

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
–	–	–

बचाव प्रदर्शो की सूची

स.क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
–	–	–

//निर्णय//
(आज दिनांक 16.06.2025 को पारित किया गया)

1– अभियुक्तगण पर यह अपराध अधिरोपित है कि उनके द्वारा दिनांक 20.09.2023 को समय दोपहर करीब 12:00 बजे से दिनांक 21.09.2023 को समय सुबह करीब 10:00 बजे के मध्य हरिखेडा रोड, बी ब्लॉक, हुरावली ग्वालियर से फरियादी सुरेश कुमार गौड के आधिपत्य के 22 चक्का डंफर की दो बैटरियो को उसकी सहमति के बिना बेईमानीपूर्वक ले जाने के आशय से हटाकर चोरी कारित की, जो भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 379 के अधीन दण्डनीय अपराध है।

2– अभियोजन कहानी संक्षिप्त में इस प्रकार है कि फरियादी ने थाना सिरौल उपस्थित आकर जुबानी रिपोर्ट की, कि दिनांक 20.09.2023 को दोपहर करीब 12:00 बजे फरियादी सुरेश कुमार गौड के ड्रायवर पवन शर्मा ने उसका 22 चक्का डम्फर क्रमांक एमपी07 एचबी 8191 को उसके घर के सामने हरिखेडा रोड पर बी ब्लॉक हुराबली में खड़ा किया था उसके बाद आज दिनांक 21.09.2023 को सुबह करीब 10:00 बजे उसका ड्रायवर गाडी

ले जाने के लिये आया तो ड्रायवर पवन शर्मा ने गाडी स्टार्ट की तो गाडी स्टार्ट नही हुई फिर उसने उतरकर गाडी चैक की तो पता चला कि उसकी गाडी में दो बैटरियां नही थी फिर उसके ड्रायवर पवन ने उसे बताया कि गाडी में से दो बैटरी चोरी हो गई है फिर उसने व ड्रायवर ने अपनी बैटरियों की आसपास तलाश की परंतु कोई पता नही चला, कोई अज्ञात बदमाश उसकी गाडी की दो बैटरियों को चोरी कर ले गया। तत्पश्चात उक्त घटना के संबंध में फरियादी के द्वारा घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट आरक्षी केन्द्र सिरौल में दर्ज कराई थी जिस पर से आरक्षी केन्द्र सिरौल द्वारा अपराध क्रमांक 354/2023 अंतर्गत धारा–379 भा.दं.सं. अभियुक्त के विरूद्ध पंजीबद्ध किया गया। दौराने विवेचना घटनास्थल का नक्शामौका तैयार किया गया। साक्षीगण एवं फरियादी के कथन लेख किये गये। आरोपीगण का मेमोरेंडम लिया गया। आरोपीगण से समक्ष साक्षीगण डंफर जप्त कर जप्ती पंचनामा तैयार किया गया। आरोपीगण को समक्ष पंचान गिरफतार कर गिरफतारी पंचनामा तैयार किया गया। न्यायालय के आदेश के पालन में जप्तशुदा वाहन को उसके स्वामी को सुपुर्दगी पर दिया गया तथा आरोपीगण का आपराधिक रिकॉर्ड संलग्न किया गया तथा प्रकरण का सहअभियुक्त अरूण जाटव बाल अपचारी होने से उसके विरूद्ध अभियोग पत्र बाल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा बाद संपूर्ण विवेचना अभियुक्त नीरज जाटव, राहुल जाटव एवं अभिषेक जाटव के विरूद्ध अभियोगपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

3– अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 379 भा.दं.सं. 1860 के तहत अपराध विरचित कर सुनाये एवं समझाये जाने पर उन्होने अपराध करने से इंकार कर विचारण चाहा, तब विचारण प्रारंभ हुआ।

4— अभियुक्तगण के विरूद्ध साक्ष्य में ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न नहीं हुई है जिस पर उनका स्पष्टीकरण लिया जावे। इस हेतु अभियुक्तगण का धारा 313 द.प्र.सं. के तहत परीक्षण नहीं किया गया तथा अभियुक्तगण के द्वारा बचाव में साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

5— अभियोजनपक्ष द्वारा विचारण हेतु आहत **सुरेश कुमार गौड अ.सा.01** को परीक्षित करवाया गया वहीं बचावपक्ष द्वारा किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं करवाया गया।

6— प्रकरण के न्यायोचित निराकरण के लिए निम्न विचारणीय प्रश्न हैः—

1. क्या आपने दिनांक 20.09.2023 को समय दोपहर करीब 12:00 बजे से दिनांक 21.09.2023 को समय सुबह करीब 10:00 बजे के मध्य हरिखेडा रोड, बी ब्लॉक, हुरावली ग्वालियर से फरियादी सुरेश कुमार गौड के आधिपत्य के 22 चक्का डंफर की दो बैटरियो को उसकी सहमति के बिना बेईमानीपूर्वक ले जाने के आशय से हटाकर चोरी कारित की?
2. दण्डादेश या दोषमुक्ति?

<u>विचारणीय प्रश्न क्र. 1 एवं 2 की विवेचना एवं सकारण निष्कर्ष</u>

7— यहां परीक्षित साक्षी फरियादी **सुरेश कुमार गौड अ.सा.1** ने अपने मुख्यपरीक्षण में इस आशय की साक्ष्य प्रस्तुत की है कि वह आरोपीगण को जानता है। घटना दिनांक 20.09.2023 की है। उक्त दिनांक को उसका ड्रायवर पवन शर्मा ने उसके 22 चक्का डंफर क्रमांक एमपी07 एचबी 8191 को उसके घर के सामने हरिखेडा रोड पर बी ब्लॉक रोड, हुरावली पर खडा किया था उसके बाद अगले दिन दिनांक 21.09.2023 को सुबह

करीब 10:00 बजे पवन गाडी ले जाने के लिये आया तथा गाडी स्टार्ट की तो गाडी स्टार्ट नही हुई, उसे पता चला कि गाडी में दो बैटरियां नही थी कोई अज्ञात चोर उसकी उक्त दोनो बैटरियों को चोरी कर ले गया था जिसके संबंध में उसके द्वारा थाना सिरौल में चोरी की रिपोर्ट लेख कराई थी जो **प्रदर्श पी 01** है। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शामौका **प्रदर्श पी 02** बनाया था, उक्त दस्तावेजों के ए से ए भागों पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस द्वारा घटना के संबंध में उससे पूछताछ की थी। इस प्रकार उक्त साक्षी ने अभियोजन कथा का पूर्ण रूप से समर्थन नही किया है तब अभियोजन के द्वारा उक्त साक्षी को पक्षद्रोही कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने अभियोजन के द्वारा दिये गये सुझावों से इंकार किया है तथा व्यक्त किया है कि उसके द्वारा आरोपीगण को चोरी करते हुए नही देखा था। इसके अतिरिक्त साक्षी ने पुलिस को कथन **प्रदर्श पी 03** का ए से ए भाग दिये जाने से भी इंकार किया है। इस प्रकार उक्त साक्षी की साक्ष्य से अभियोजन कथा पर संदेह कारित होता है।

8– अभियोजन साक्षी **सुरेश कुमार गौड अ.सा.01** के द्वारा प्रस्तुत हुयी साक्ष्य से यह तो स्पष्ट होता है कि उसके द्वारा थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट एक सारभूत साक्ष्य नहीं होती है। इसका उपयोग धारा 157 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अधीन इन्हें लेखबद्ध कराने वाले के समर्थन में किया जा सकता है अथवा धारा 145 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत इसका उपयोग लेखबद्ध कराने वाले व्यक्ति के खण्डन के लिये किया जा सकता है।

9– यहां स्वयं फरियादी **सुरेश कुमार गौड अ.सा.1** के द्वारा अपने

न्यायालयीन कथन में घटना कारित करने वाले आरोपीगण को चोरी करते हुए नही देखा जाना व्यक्त किया है एवं उक्त साक्षी ने आरोपीगण के द्वारा उसके डंफर से चोरी कारित किये जाने से भी इंकार किया है। तब यह प्रमाणित नही होता है कि उक्त चोरी अभियुक्तगण के द्वारा ही कारित की गई है। अभियोजन से यह अपेक्षित था कि वह अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करे परंतु अभियोजन अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है।

10— यहां अभियोजन साक्षी फरियादी सुरेश कुमार गौड **अ.सा.01** के द्वारा अपने न्यायिक परीक्षाकाल में यह स्वीकार किया है कि उसका अभियुक्तगण से न्यायालय के बाहर स्वेच्छयापूर्वक राजीनामा हो गया है। अतः यह आपसी राजीनामे का स्वाभाविक परिणाम दर्शित होता है। चूंकि उक्त महत्वपूर्ण साक्षी ने अभियोजन कहानी का समर्थन नही किया है, इसलिए उक्त साक्ष्य से अभियोजन को कोई विशेष लाभ प्राप्त नही होता है।

11— यह एक सुसंस्थापित सिद्धांत है कि जब अभियोजन कथा में संदेह हो तब इसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना चाहिये। इस संबंध में न्यायदृष्टांत **प्रताप विरूद्ध स्टेट ऑफ मध्यप्रदेश ए.आई.आर.976 एस.सी.966** एवं **वासुदेव विरूद्ध स्टेट ऑफ एमपी 1988 जे.एल.जे 64** में दोहराया गया है कि यह अभियोजन का कर्तव्य है कि वह संदेह से परे अभियुक्त का दोषसिद्ध करे। इसके अतिरिक्त **ए.आई.आर 1975 एस.सी. 258** में माननीय सर्वोच्य न्यायालय द्वारा यह मार्गदर्शन प्रदान किया है कि संदेह कितना भी प्रबल हो वह प्रमाण का स्थान नही ले सकता तथा **स्टेट ऑफ असम विरूद्ध भैरवसिंह 1989 एस.सी. पेज 272** में यह प्रतिपादित किया है कि

जहां अभियोजन कथा में संदेह उत्पन्न हो जाये तब ऐसे साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दोषी नही ठहराया जा सकता है।

12– अतः प्रस्तुत हुयी साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता है कि दिनांक 20.09.2023 को समय दोपहर करीब 12:00 बजे से दिनांक 21.09.2023 को समय सुबह करीब 10:00 बजे के मध्य हरिखेडा रोड, बी ब्लॉक, हुरावली ग्वालियर से फरियादी सुरेश कुमार गौड के आधिपत्य के 22 चक्का डंफर की दो बैटरियो को उसकी सहमति के बिना बेईमानीपूर्वक ले जाने के आशय से हटाकर चोरी कारित की हो। तब ऐसी दशा में **भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 379** आकर्षित नहीं होती है।

13– परिणामस्वरूप अभियुक्तगण **नीरज जाटव, राहुल जाटव एवं अभिषेक जाटव** को **भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा–379** के आरोपित अपराध में **दोषमुक्त** किया जाता है।

14– अभियुक्तगण जो कि जमानत एवं मुचलके पर स्वतंत्र है, के जमानत एवं मुचलके भारमुक्त किए जाते है और उन्हे स्वतंत्र किया जाता है।

15– दांडिक **<u>अपील कमांक 653/2007 (विश्वजीत एवं अन्य विरूद्ध म.प्र. राज्य)</u>** में पारित निर्णय दिनांक 10.09.2013 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए इस प्रकरण में अनुसंधान, जांच एवं विचारण के दौरान अभियुक्तगण की निरूद्ध अवधि के संबंध में धारा 428 दप्रसं का प्रमाण पत्र बनाया जाकर निर्णय के साथ संलग्न किया जाए।

16– प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति दो बैटरियों को पूर्व से उसके स्वामी को सुपुर्दगी पर दी जा चुकी है। अतः उक्त सुपुर्दगीनामा अपील अवधि

पश्चात भारमुक्त हो। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित व हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। मेरे बोलने पर टंकित किया।

सही/–

(अमन सुलिया)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
ग्वालियर, म.प्र.

सही/–

(अमन सुलिया)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
ग्वालियर, म.प्र.

AMAN SULIYA

Digitally signed by AMAN SULIYA
Date: 2025.06.16 18:09:51 +0530